हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

४/७/२५

पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली का नतीजा रजिस्टर के नम्बर में दर्ज हो पत्रावली जिला रेकर्ड अगार में शामिल हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर (का०व०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :— सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
191 / 2023	29.08.2023	08.07.2025

बउनवान

1. ललता प्रसाद सैन पुत्र स्व0 श्री चेतराम
2. दीपक कुमार सैन पुत्र स्व0 चेतराम
3. उगन्ती देवी पत्नी स्व0 श्री चेतराम जाति नाई निवासीयान ग्राम पेहल तहसील मुण्डावर पूर्व जिला अलवर वर्तमान जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. अनिता देवी पुत्री स्व0 श्री चेतराम पत्नी निरन्जनलाल जाति नाई निवासी पेहल तहसील मुण्डावर हाल निवासी ग्राम सियाखोह तहसील मुण्डावर जिला अलवर वर्तमान जिला खैरथल तिजारा राज0।
5. राजबाला देवी पुत्री स्व0 श्री चेतराम पत्नी महेन्द्र सिंह जाति नाई निवासी ग्राम पेहल तहसील मुण्डावर हाल निवासी ग्राम शाहजहापुर तहसील मुण्डावर पूर्व जिला अलवर वर्तमान जिला खैरथल तिजारा राज0।

:— वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब भूमिधारी अधिकारी मुण्डावर पूर्व जिला अलवर वर्तमान जिला खैरथल तिजारा राज0।

प्रतिवादीगण

2. किरोडीमल सैन पुत्र स्व0 छीतरमल सैन जाति नाई निवासी ग्राम पेहल तहसील मुण्डावर हाल निवासी ग्राम 5/173 ट्रासपोर्ट नगर, एन ई बी विस्तार (प्रतिंविहार) अलवर जिला अलवर राज0।
3. पूरण मल पुत्र स्व0 श्री छीतरमल सैन जाति नाई निवासी ग्राम पेहल तहसील मुण्डावर हाल निवासी ग्राम 5/517 दिल्भ दरवाजा बाहर, पहाडगंज अलवर जिला अलवर राज0।
4. कान्ता देवी पुत्री स्व0 श्री छीतरमल सैन पत्नी श्री नारायण सैन जाति नाई निवासी हरसौली तहसील हरसौली पूर्व जिला अलवर वर्तमान जिला खैरथल तिजारा राज0।
5. सरोज पुत्री स्व0 श्री छीतरमल सैन पत्नी भीमसिंह जाति नाई निवासी शाहजहापुर तहसील मुण्डावर पूर्व जिला अलवर वर्तमान जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: तरतीबी प्रतिवादी

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
वादी वकील :— श्री चुन्नीलाल

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 61 रकबा 0.0100 है0, 62 रकबा 0.8100 है0 किता 2 रकबा 0.8200 है0 वाके ग्राम पेहल तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा में स्थित है। जो आराजी प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलावेगी।
2. यह है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 61 रकबा 0.0100 है0 62 रकबा 0.8100 है0 किता 2 रकबा 0.8200 है0 वाके ग्राम पेहल तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा का 1/2 भाग हम वादी व तर0 प्रति0 के पिता चेतराम पुत्र नाथिया जाति नाई निवासी पेहल की कब्जे काश्तखातेदारी की आराजी है जिसके नाम राजस्व रिकोर्ड में बतौर खातेदार दर्ज है तथा हम वादीगण के पिता/नाना अपने जीवनकाल में तथा उनकी मृत्यु के बाद हम वादीगण विवादित आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। हम वादीगण के पिता/नाना चेतराम पुत्र नाथिया की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन विरास्त का इंतकाल दर्ज नही हुई है।
3. यह है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 61 रकबा 0.0100 है0, 62 रकबा 0.8100 है0 किता 2 रकबा 0.8200 है वाके ग्राम पेहल तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा के राजस्व रिकोर्ड में चेतराम पुत्र नाथिया, छीतरमल पुत्र नाथिया जाति नाई सा0 देह खातेदार अविव मारर्फत भोमसिह पुत्र हरनाम सिंह राजपूत 1/2 लक्ष्मण पुत्र महादेव कोम ब्राहमण 1/2 सा0 देह उपकृषक साल 36 बकाश्त हेमराज सुलतान बिशम्बर पुत्रान मंगल समा0 जाट सा0 ढाणी रैणागिरी उपकृषक साल 24—1/2 दर्ज राजस्व रिकोर्ड है।
4. यह ह कि राजस्व रिकोर्ड में जो अंकन अविव मारर्फत भोमसिंह पुत्र हरनाम सिंह राजपूत 1/2 लक्ष्मण पुत्र महादेव कोम ब्राहमण 1/2 सा0 देह उपकृषक साल 36 बकाश्त हेमराज सुलतान बिशम्बर पुत्रान मंगल सा0 जाट सा0 ढाणी रैणागिरी उपकृषक साल 24—1/2 का हो रहा है इन

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

लोगो का विवादित आराजी से कोई किसी प्रकार का लेना देना सम्बध वा सरोकार नही है ना ही इन लोगो का विवादित आराजी पर कभी कब्जा रहा रहा है। विवादित आरजी हम वादीगण के बुर्जगान की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। जिसके राजस्व रिकोर्ड में हम वादीगण के पिता/नाना चेतराम के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है।

5. यह है कि भोम सिंह पुत्र हरनाम सिंह राजपूत 1/2 लक्ष्मण पुत्र महादेव क़ोम ब्राहमण 1/2 सा0 देह उपकृषक साल 36 बकाश्त हेमराज सुलतान बिशम्बर पुत्रान मंगल सा0 जाट सा0 ढाणी रैणागिरी उपकृषक साल 24–1/2 के नाम का अंकन राजस्व रिर्कोड में बतौर उपकृषक दर्ज है जबकी वर्तमान में उपकृषक कोई अधिकार नही रखते है। जिससे हम सभी पक्षकारान को काफी हानी हो रही है। इसलिए राजस्व रिकोर्ड मं जो गलत अंकन उपकृषक अविव–मारर्फत भोमसिंह पुत्र हरनाम सिंह राजपूत 1/2 लक्ष्मण पुत्र महादेव कोम ब्राहमण 1/2 सा0 देह उप कृषक साल 36 बकाश्त हेमराज सुलतान बिशम्बर पुत्रान मंगल सम0 जाट सा0 ढाणी रैणागिरी उपकृषक साल 24–1/2 का हो रहा है। उसे हजफ कर हटाया जावे जिसके लिये दावा हाजा दायर करना लाजिम आया है।

6. ग्रह है कि हम वादीगण अपने पिता/नाना चेतराम पुत्र नाथिया की विरासत का इंतकाल दर्ज कराने बाबत पटवारी हल्का व तहसीलदार साहब से सर्म्पक किया तो उन्होने आराजी के राजस्व रिकोर्ड में मारर्फत भोमसिंह पुत्र हरनामसिंह राजपूत 1/2 लक्ष्मण पुत्र महादेव कोम ब्राहमण 1/2 सा0 देह उपकृषक साल 36 बकाश्त हेमराज सुलतान बिशम्बर पुत्राान मंगल सम0 जाट सा0 ढाणी रैणागिरी उपकृषक साल 24–1/2 का अंकन होने बाबत कहा तथा श्रीमान से बकाश्त हटवाने बाबत आदेशित किया जिस पर अविलम्बर ही दावा हाजा दायर करना लाजिम आया है।

वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण बर खिलाफ प्रतिवादीगण मिन प्रकार डिकी फरमाया जावे कि:–

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

अ – डिक्री इश्तकरारहक वो इन्द्राज दुरूस्ती कि आराजी खसरा संख्या हाल 62 रकबा 0.0100 है0, 62 रकबा 0.8100 है0 किता 2 रकबा 0.8200 है0 वाके ग्राम पेहल तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा के राजस्व रिकोर्ड में जो अंकन अ.विव मारर्फत भोमसिंह पुत्र हरनाम सिंह राजपूत 1/2 लक्ष्मण पुत्र महादेव कोम ब्राहमण 1/2 सा0 देह उपकृषक साल 36 बकाश्त हेमराज सुलतान बिशम्बर पुत्रान मंगल सम0 जाट सा0 ढाणी रैणागिरी उपकृषक साल 24–1/2 दर्ज हो रहा है उसे हजफ कर हटाया जावें तथा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने की आज्ञा सादिर प्रदान की जावें।

ब– खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

स– दीगर दादरसी जो नजदीक अदालत मुनासिब हो बहक वादीगण बख्सी जावें।

वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया गया। जो पत्रावली शामिल है।

वादी ने अपने दावे के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2073–76 पेश किया गया।

वादी वकील ने अपने बहस के दौरान कथन कहे कि विवादित आराजी मे वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी के पिता सहखातेदार काश्तकार दर्ज है। वादीगण के पिता के नाम के पिछे "अ.विव." दर्ज है। राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 के अनुसार काश्तकार ही आराजी का खातेदार होता है ना कि सिकमी/उपकृषक काश्तकार होता है। राजस्व अधिकारी/कर्मचारियो द्वारा सिकमी/उपकृषक काश्तकार को वादीगण के पिता के नाम के पिछे अमल दरामद कर दिया गया। जो गलत है। इसलिए वादीगण के पिता के नाम के पिछे अमल दरामद "अ.विव." को हजफ करवाने का अधिकार रखता है।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी के पिता की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण के वाद को स्वीकर कर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर ''अ.वि.व'' हजफ किये जाने का श्रम करे।

पत्रावली, वादी के वाद के सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है कि प्रदर्श–1 के अनुसार वादीगण विवादित आराजी में खातेदार काश्तकार दर्ज है। राजस्थान काश्तकार अधिनियम के अनुसार किसी सिकमी/बकाश्त का कोई हक अधिकार नही होता है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार किया जाता है एवं आराजी खसरा संख्या हाल 62 रकबा 0.0100 है0, 62 रकबा 0.8100 है0 किता 2 रकबा 0.8200 है0 वाके ग्राम पेहल तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकात घोषित किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजी में हो रहे वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम के पिछे ''अ.विव मरफत भोमसिह पुत्र हरनाम सिंह राजपूत1/2 लक्ष्मीण पुत्र महादेवा ब्राहमण1/2 सा0 देह उपकृषक साल 36 बकाश्त हेमराज सुलतान बिशम्बर पि0 मंगल सम0 जाट सा0 ढाणी रैणागिर उपकृषक साल 24–1/2.'' को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। **पर्चा डिक्री जारी हो।**

यह निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सही

(सुरेश कुमार बसोई)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

13/8/25 के अनुसार आराजी ख0न0 62 रकबा 0.0100 है0 के स्थान पर 61 रकबा 0.0100 है0 पढा जावे शेष आदेश यथावत रहेगा।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
191/2023	29.08.2023	08.07.2025

बउनवान

1. ललता प्रसाद सैन पुत्र स्व0 श्री चेतराम
2. दीपक कुमार सैन पुत्र स्व0 चेतराम
3. उगन्ती देवी पत्नी स्व0 श्री चेतराम जाति नाई निवासीयान ग्राम पेहल तहसील मुण्डावर पूर्व जिला अलवर वर्तमान जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. अनिता देवी पुत्री स्व0 श्री चेतराम पत्नी निरन्जनलाल जाति नाई निवासी पेहल तहसील मुण्डावर हाल निवासी ग्राम सियाखोह तहसील मुण्डावर जिला अलवर वर्तमान जिला खैरथल तिजारा राज0।
5. राजबाला देवी पुत्री स्व0 श्री चेतराम पत्नी महेन्द्र सिंह जाति नाई निवासी ग्राम पेहल तहसील मुण्डावर हाल निवासी ग्राम शाहजहापुर तहसील मुण्डावर पूर्व जिला अलवर वर्तमान जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब भूमिधारी अधिकारी मुण्डावर पूर्व जिला अलवर वर्तमान जिला खैरथल तिजारा राज0।

प्रतिवादीगण

2. किरोडीमल सैन पुत्र स्व0 छीतरमल सैन जाति नाई निवासी ग्राम पेहल तहसील मुण्डावर हाल निवासी ग्राम 5/173 ट्रासपोर्ट नगर, एन ई बी विस्तार (प्रतिविहार) अलवर जिला अलवर राज0।
3. पूरण मल पुत्र स्व0 श्री छीतरमल सैन जाति नाई निवासी ग्राम पेहल तहसील मुण्डावर हाल निवासी ग्राम 5/517 दिल्भ दरवाजा बाहर, पहाडगंज अलवर जिला अलवर राज0।
4. कान्ता देवी पुत्री स्व0 श्री छीतरमल सैन पत्नी श्री नारायण सैन जाति नाई निवासी हरसौली तहसील हरसौली पूर्व जिला अलवर वर्तमान जिला खैरथल तिजारा राज0।
5. सरोज पुत्री स्व0 श्री छीतरमल सैन पत्नी भीमसिंह जाति नाई निवासी शाहजहापुर तहसील मुण्डावर पूर्व जिला अलवर वर्तमान जिला खैरथल तिजारा राज0।

–: तरतीबी प्रतिवादी

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री चुन्नीलाल एडवोकट** व प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 08.07.2025** को **श्री सुरेश कुमार बलाई, सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश हुआ। वादी के वाद को **पर्चा डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है :–**

आराजी खसरा संख्या हाल 62 रकबा 0.0100 है0, 62 रकबा 0.8100 है0 किता 2 रकबा 0.8200 है0 वाके ग्राम पेहल तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकात घोषित किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजी में हो रहे वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम के पिछे ''अ.विव मरफत भोमसिह पुत्र हरनाम सिंह राजपूत1/2 लक्ष्मीण पुत्र महादेवा ब्राहमण1/2 सा0 देह उपकृषक साल 36 बकाश्त हेमराज सुलतान बिशम्बर पि0 मंगल सम0 जाट सा0 ढाणी रैणागिर उपकृषक साल 24–1/2.'' को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08.07.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0) मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

13/8/25 के अनुसार आराजी ख0नं0 62 रकबा 0.0100 है0 के स्थान पर 61 रकबा 0.0100 है0 पढ़ा जावे शेष आदेश यथावत रहेगा।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर ... राज0
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)